एस0एन0डी0 2015-16

वित्तीय स्वीकृति (आयोजनागत)

संख्या-94/2015/790/एक-5-2015-25/2015

प्रेषक,

गिरीश चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांक 09 जून, 2015**

विषयः-प्रदेश के राजस्व भवनों के विभिन्न आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 के पत्र संख्या-141/12(भवन)-25/2015, दिनांक 16 अप्रैल, 2015 के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-342/एक-5-2015-25/2015, दिनांक 28 मार्च, 2015 संलग्न तालिका में अंकित विवरण के अनुसार राजस्व भवनों के विभिन्न आवासीय निर्माण कार्यों के नाम के सम्मुख अंकित कार्यों की लागत, जिसका कुल योग रू0 रू0 86.012 लाख है, के आधार पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए कुल रू0 86.012 लाख (रूपये छियासी लाख एक हजार दो सौ मात्र) की सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-342/एक-5-2015-25/2015, दिनांक 28 मार्च, 2015 के द्वारा संलग्न तालिका में अंकित विवरण के अनुसार राजस्व भवनों के विभिन्न आवासीय निर्माण कार्यों हेतु अवमुक्त की गयी रू0 86.012 लाख (रूपये छियासी लाख एक हजार दो सौ मात्र) की धनराशि कोषागार से आहरित न हो सकी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या-342/एक-5-2015-25/2015, दिनांक 28 मार्च, 2015 के द्वारा संलग्न तालिका में अंकित विवरण के अनुसार राजस्व भवनों के विभिन्न आवासीय निर्माण कार्यों हेतु अवमुक्त की गयी रू0 86.012 लाख की धनराशि कोषागार से आहरित न हो पाने के दृष्टिगत प्रतिपूर्ति हेतु **पुनः संलग्न तालिका में अंकित विवरण के अनुसार राजस्व भवनों के विभिन्न आवासीय निर्माण कार्यों हेतु कुल रू0 86.012 लाख (रूपये छियासी लाख एक हजार दो सौ मात्र)** की धनराशि अवमुक्त कर उक्त प्रयोजन हेतु व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार आहरण किया जायेगा तथा उक्त धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था (पैकफेड) को उक्त प्रयोजन हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराये गये कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से उपलब्ध कराया जाय। निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूर्ण भी किया जाय।

(3) राजस्व परिषद द्वारा यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-342/एक-5-2015-25/2015, दिनांक 28 मार्च, 2015 के द्वारा संलग्न तालिका में अंकित विवरण के अनुसार राजस्व भवनों के विभिन्न आवासीय निर्माण कार्यों हेतु अवमुक्त की गयी रू0 86.012 लाख की धनराशि कोषागार से आहरित न हुई हो।

(4) स्वीकृति धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश में दिये गये दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-सरकारी रिहायशी भवन-106 साधारण पूल आवास-03-आवासीय भवन-0301-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के आवासीय भवनों के नवनिर्माण/पुर्ननिर्माण/विस्तार/सुदृढ़ीकरण एवं भूमि क्रय हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 के द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
गिरीश चन्द्र
अनु सचिव।

<u>संख्या-94/2015/790(1)/एक-5-2015-25/2015, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- जिलाधिकारी, बागपत/सीतापुर/मुजफफरनगर।
6- प्रबंधक निदेशक, पैकफेड/सम्बन्धित परियोजना प्रबंधक।
7- राजस्व अनुभाग-6
8- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-94/2015/790/एक-5-2015-25/2015, दिनांक 09 जून, 2015 का संलग्नक

आवासीय कार्य

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रम सं0	कार्य का नाम	कार्य की लागत	स्वीकृत धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1-	कलेक्ट्रेट बागपत आवासीय परिसर में नलकूप का निर्माण	31.502	31.502
2-	जिलाधिकारी सीतापुर आवास के मरम्मत/जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में	44.12	44.12
3-	जनपद मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय/आवासीय परिसर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो हेतु टाईप-1 के आवासों का निर्माण	10.39	10.39
	योग	**86.012**	**86.012**

(रूपये छियासी लाख एक हजार दौ सौ मात्र)

गिरीश चन्द्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।